

यमुना जल को ज़हरीला बताने के वरिद्ध मामला दर्ज

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने राजनीतिक पार्टी के नेता के वरिद्ध सोनीपत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#) के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा से आने वाले [यमुना के जल में "ज़हर"](#) है।

मुख्य बिंदु

- शिकायत दर्ज की गई:
- धारा 54, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: आपदाओं के संबंध में गलत चेतावनी देने पर सज़ा (1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना)।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353 और 356: सार्वजनिक शरारत और मानहानि।
- भारत नरिवाचन आयोग की संलपितता: [भारत नरिवाचन आयोग](#) ने दावे के संबंध में तथ्यात्मक और कानूनी आधार मांगते हुए साक्ष्य मांगे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- परिचय:
 - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के कुशल [प्रबंधन](#) के लिये पारित किया था। हालाँकि, यह जनवरी 2006 में लागू हुआ।
- उद्देश्य:
 - आपदाओं का प्रबंधन करना, जिसमें शमन रणनीतियों की तैयारी, क्षमता निर्माण शामिल है।
 - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (D) में "आपदा" की परिभाषा यह है "किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली तबाही, दुर्घटना, वपित्तियां गंभीर घटना।"
- अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:
 - नोडल एजेंसी: अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिये [नोडल मंत्रालय](#) के रूप में नामित करता है।
 - संस्थागत संरचना: यह राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर [संस्थाओं](#) की एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करता है।
 - राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाएँ:
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): इसका कार्य आपदा प्रबंधन नीतियाँ बनाना तथा समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना है।
 - राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): इसका गठन अधिनियम की धारा 8 के तहत [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण](#) को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिये किया गया है।
 - NEC पूरे देश के लिये [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना](#) तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि इसकी वार्षिक समीक्षा की जाए तथा इसे अद्यतन किया जाए।
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों हेतु एक संस्थान है।
 - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के लिये बुलाया जाता है।

